

दिनांक 12 सितंबर 2021

स्वच्छ एवं सुंदर भिलाई

मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना एवं महिला समृद्धि बाजार योजना के तहत 106 चबूतरा एवं दुकानों का होगा आबंटन, निगम मुख्य कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं आवेदन , अंतिम तिथि 5 अक्टूबर निर्धारित

भिलाई नगर/ मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना एवं महिला समृद्धि बाजार योजना के तहत खाली पड़े चबूतरा एवं दुकानों को विभिन्न व्यवसाय के लिए निगम आबंटन करने जा रहा है! इसके लिए निगम मुख्य कार्यालय के कक्ष क्रमांक 16 से आवेदन प्राप्त किया जा सकता है! आवेदन लेने और जमा करने की अंतिम तिथि 05 अक्टूबर निर्धारित की गई है! इस तारीख तक आवेदन जमा हो जाना चाहिए! निगम आयुक्त श्री ऋतुराज रघुवंशी ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं! निगम के कई क्षेत्रों में दुकानें एवं चबूतरा खाली पड़ी हुई है! पहले के आबंटिती हितग्राहियों ने नियमित रूप से किराया जमा नहीं किया! किराया जमा नहीं होने के कारण कई वर्षों से आबंटन निरस्तीकरण की कार्रवाई चलती रही परंतु राजस्व की हानि होते देख निगम आयुक्त श्री रघुवंशी ने इस पर त्वरित संज्ञान लेते हुए कार्रवाई को पूर्ण करवाया तब जाकर आबंटन की प्रक्रिया पूर्ण हो पाई है!

जनसंपर्क अधिकारी

